मु० नं० 49/2021 [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/8/25	पत्रावली पेश हुई। आज अधिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 1/10/25 को पेश हो [illegible]	
1/10/25	वकुलाय उप०। मिसल वास्ते बहस हेतु दिनांक 26/11/25 को पेश हो। [illegible]	
26/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। मिसल वास्त बहस हेतु आइन्दा दिनांक 21/1/26 को पेश हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी	
11/12/25	वकील प्रार्थीया की ओर से मिसल तलवी पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। प्रार्थीया के पिता के दो पुत्र संतान तथा तीन पुत्रियां संतान पैदा हुई। प्रार्थीया की बहन रूकमणी देवी की पुत्री सरस्वती ना–औलाद फौत हो चुकी है तथा सुनहरी देवी ना–आलौद फौत हो चुकी है। प्रार्थीया का भाई परसाराम कुम्भाराम के गोद चला गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया व प्रार्थीया का भाई हनुमान प्रत्येक का 1/2–1/2 हक हिस्सा हुआ। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीया के भाई हनुमान के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें से हनुमान ने कुछ भूमि अप्रार्थी संख्या 6 को विक्रय कर दी है। अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 6 वादग्रस्त भूमि को राजस्व रिकार्ड की आड़ में आगे ओर विक्रय कर खुर्द–बुर्द करना चाहते है तथा प्रार्थीया को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थीगण अपने उक्त कार्यवाही में सफल होते है तो प्रार्थी के काश्तकारी हितो पर गंभीर कुठाराघात होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन एवं अपार क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के हक में है। प्रार्थीया ने अपने अधिकारों की घोषणा बाबत दावा श्रीमान के यहां किया हुआ है जो विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सुचित किया जा चुका है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। अब अप्रार्थीगण दावा विचाराधीन रहते वादग्रस्त भूमि को आगे ओर विक्रय कर खुर्द–बुर्द करने की फिराक में है इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को ता फैसला ए दावा वादग्रस्त भूमि को विक्रय रहन ना करने, रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गयी, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। पृथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से बहुलवाद की संभावना को देखते हुये वकील प्रार्थीया का निवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।	

मु० नं० 49/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय अतः वकील प्रार्थीया का निवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक के लिए पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम शिवदयालपुरा की सरहद में स्थित विवादित भूमि 62, 66, 67, 68, 69 कुल किता 5 कुल रकबा 7.18 है0 भूमि को विक्रय, रहन ना करें, रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश किसी भी प्रचलित रास्ता/कटानी रास्ता/डोटेड रास्ता इत्यादि तथा अवाप्ताधीन भूमि पर प्रभावी नहीं होगा। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मलसीसर	